

प्रारूप-6
राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो शिक्षा प्रसार अधिकारी के रूप में विद्यालय/संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 में अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (श्री/सुश्री/सर्वश्री)	जिला	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	श्री कैलाश चन्द अरडावतिया, मूल पद शिक्षा प्रसार अधिकारी, वर्तमान व्याख्याता (वाणिज्य), राजकीय गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, बारहगुवाड बीकानेर	बीकानेर	01.02.1959	31.01.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री कैलाश चन्द अरडावतिया,के विरुद्ध आज तक :-

- (1) (राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) (राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।




(नथमल डिडेल),
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/शिक्षा प्रसार अधिकारी/सेवानिवृत्ति/2019/42 दिनांक: 21.01.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- 2 संबंधित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीकानेर।
- 3 संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, बीकानेर।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बीकानेर।
- 5 प्रधानाचार्या, राजकीय गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, बारहगुवाड बीकानेर।
- 6 श्री कैलाश चन्द अरडावतिया, मूल पद शिक्षा प्रसार अधिकारी, वर्तमान व्याख्याता (वाणिज्य), राजकीय गर्ल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, बारहगुवाड, बीकानेर।
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर